रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 जुलाई, 1980/2 श्रावण, 1902

### हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 14 जुलाई, 1980

संख्या 7-112/76-एल.ई.पी.-श्रम.—फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63) की धारा 49, 50 और 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम के उद्देश्य से निम्न नियमों को सहर्ष बनाते हैं । यही नियम सरकार की इस सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी, 1977 द्वारा पहले ही प्रकाशित हुए हैं ।

नियम

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) ये नियम हिमाचल प्रदेश कल्याण अधिकारियों की भर्ती तथा सेवा नियम, 1977 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम तत्काल प्रभावी होंगे ।

1089-राजपत्र-24-7-80—1,000.



मूल्य: 20 पैसे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 के 63) से है।

(ख) "फैक्ट्री" और "अधिभोक्ता" शब्दों का अर्थ क्रमशः वही है जो कि उनके लिये अधिनियम में दिया गया है।

3. कल्याण अधिकारियों की संख्या.—फैक्ट्रियां जिनमें 5 सौ से 2 हजार तक कर्मचारी नियोजित हों के लिए एक कल्याण अधिकारी होगा। प्रत्येक दो हजार अतिरिक्त कर्मचारियों अथवा इसके किसी प्रभाग जो पांच सौ से अधिक हो के लिए एक अतिरिक्त कल्याण अधिकारी हो गा, उनमें से एक को मुख्य कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

4. कल्याण अधिकारियों के वेतनमान और परिलब्धियां.—कल्याण अधिकारी नीचे दिए वेतनमान का हकदार होगा :—

| | |
|---|---|
| वर्ग 1—फैक्ट्रियां जिनमें 2 हजार से अधिक कर्मजारी नियोजित हों के लिए। | (1) मुख्य कल्याण अधिकारी— रु0 700-40-1100.<br>(2) कल्याण अधिकारी— रु0 350-25-500/30-590/30-830/35-900. |

उपबन्धित है कि—

(क) इस नियम की कोई भी बात उन वेतनमानों की मन्जूरी पर जो पूर्वोक्त वेतनमानों से अधिक हो अथवा मुख्य कल्याण अधिकारी और कल्याण अधिकारी जो ऊपरलिखित वेतनमानों से अधिक वेतनमान ले रहे हों की परिलब्धियों की प्राप्ति पर कोई रोक नहीं लगायेगी।

(ख) ऊपरलिखित वेतनमानों में महंगाई और अन्य भत्ते शामिल नहीं होंगे तथा उनकी दर वही होगी जो कि वही वेतन ले रहे हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुमत हों।

5. अर्हताएं.—व्यक्ति कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का तभी पात्र होगा यदि उसने—

(क) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त की हो।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से समाज विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की हो।

(ग) फैक्ट्री जिससे वह सम्बद्ध होगा वहां के अधिकांश कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का पर्याप्त ज्ञान रखता हो।

(घ) पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव रखता हो।

(ङ) हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों व बोलियों का ज्ञान रखता हो।

उपबन्धित है कि उस व्यक्ति की स्थिति में, जो कल्याण अधिकारी के रूप में इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले कार्य कर रहा हो राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अनुसार जैसी कि वे निर्दिष्ट करे उपरोक्त अर्हताओं में छूट कर सकती है।

6. कल्याण अधिकारियों की भर्ती.—(1) कल्याण अधिकारी के पद का कम से कम दो समाचारपत्रों, जिन का प्रदेश में अधिक प्रचलन हो उनमें से एक समाचार पत्र अंग्रेजी का होगा, में विज्ञापित किया जायेगा।

(2) चयन फैक्ट्री के अधिभोक्ता द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा उन प्रार्थियों जिन्होंने पद के लिये आवेदन पत्र दिए हैं में से किया जायेगा।

(3) जब नियुक्ति की जाए तो राज्य सरकार के अधिभोक्ता अथवा ऐसे प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट करे द्वारा इस नियुक्ति को अधिसूचित किया जाएगा जिसमें नियुक्त अधिकारी की सेवा की शर्तों व योग्यताओं आदि का पूर्ण विवरण दिया जायेगा।

7. कल्याण अधिकारी की सेवा की शर्तें.—(1) कल्याण अधिकारी को फैक्ट्री के अन्य कार्यकारी अध्यक्षों के अनुरूप उचित स्तर दिया जावेगा ।

(2) कल्याण अधिकारी की सेवा की शर्तें फैक्ट्री में तत्सम स्तरीय स्टाफ के अन्य सदस्यों की भान्ति ही होंगी ।

(3) उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी प्रबन्धक समिति कल्याण अधिकारी पर निम्न में से कोई भी एक या अधिक दण्ड आरोपित कर सकती है:—

(1) परिनिन्दा करना ।

(2) दक्षता अवरोध सहित वार्षिक वेतन वृद्धियों को रोकना ।

(3) समय श्रेणी में निम्न स्तर पर अवनति ।

(4) मुअत्तिल करना ।

(5) किसी दूसरे ढंग से सेवा मुक्त अथवा निष्कासित करना ।

यह भी उपबन्धित है कि कल्याण अधिकारी के विरुद्ध तब तक कोई दण्ड आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उन आधारों जिन पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी प्रस्तावित है के बारे उसे सूचित नहीं किया जाता और उसके सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध उसे अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया जाता ।

यह भी उपबन्धित है कि प्रबन्धक समिति हिमाचल प्रदेश के श्रम आयुक्त की पूर्व सहमति के बिना परिनिन्दा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का दण्ड आरोपित नहीं करेगी ।

(4) श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश उप-नियम (3) के द्वितीय परन्तुक के अधीन किये गये सन्दर्भ पर आदेश देने से पूर्व कल्याण अधिकारी को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देगा और यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत रूप में पक्षों को सुन सकता है।

(5) यदि श्रम आयुक्त नियम 6 के उप-नियम (3) के दूसरे परन्तुक के अधीन उसको किये गए सन्दर्भ पर अपनी सहमति देने से इन्कार करता है तो प्रबन्धक समिति उस इन्कारी की तिथि से तीस दिनों के अन्दर-अन्दर राज्य सरकार को अपील कर सकती है । राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और बाध्य होगा ।

(6) कल्याण अधिकारी जिस पर खण्ड ( ) के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट दण्ड आरोपित किया गया है वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर दण्ड के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है । राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और बाध्य होगा ।

(7) राज्य सरकार उप-नियम (5) व उप-नियम (6) के अधीन दायर की गई अपील के निर्णय तक ऐसे अन्तरिम आदेश दे सकती है जैसे कि आवश्यक हो ।

8. कल्याण अधिकारी के कर्तव्य.—कल्याण अधिकारी के कर्तव्य इस प्रकार होंगे :—

(1) फैक्ट्री प्रबन्ध और कर्मचारियों के बीच समतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के विचार से उनसे सम्पर्क और परामर्श स्थापित रखना ।

(2) कर्मचारियों की व्यक्तिगत व सामूहिक कठिनाइयों के शीघ्र निवारण के विचार से फैक्ट्री प्रबन्ध समिति के ध्यान में लाना, प्रबन्ध और श्रमिकों के बीच सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना ।

(3) श्रम नीतियों को तैयार करने व व्यवस्थित करने में फैक्ट्री प्रबन्ध को सहायता करने के लिये श्रमिकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना व उसे समझाना तथा उन नीतियों को उस भाषा जिस में श्रमिक समझ सकें में बताना ।

(4) फैक्ट्री प्रबन्ध और कर्मचारियों के बीच विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अपने प्रयास का प्रयोग करते हुए औद्योगिक सम्बन्धों का ध्यान रखना तथा प्रत्ययकारी प्रयत्नों द्वारा समझौता कराना ।

(5) फैक्ट्री के सम्बन्धित विभागों को अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में उनके दायित्वों, वैधानिक अथवा अन्यथा के पालन के बारे में परामर्श देना तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकार्ड को चिकित्सा परीक्षा संकटास्पद नौकरियों की देख रेख, बीमार व स्वास्थ्योन्मुख व्यक्तियों का निरीक्षण, दुर्घटना बचाव तथा सुरक्षा समितियां व्यवस्थित संयंत्र का निरीक्षण, सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा, दुर्घटनाओं की जांच, प्रसूति लाभों और महिलाओं को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति आदि के लिये फैक्ट्री निरीक्षक तथा चिकित्सा सेवाओं के मध्य सम्पर्क स्थापित करना।

(6) फैक्ट्री के सम्बन्धित विभागों और मजदूरों के बीच सम्पर्क बढ़ाना जिसके कारण उत्पादन क्षमता व कार्य की स्थिति में सुधार होगा और मजदूरों को उनके कार्य के वातावरण के उपयुक्त तथा अनुकूल बनाना।

(7) कार्य एवं संयुक्त उत्पादन समिति, सहकारी व बचाव समिति, कल्याण समितियों के गठन को बढ़ावा देना व उनका निरीक्षण करना।

(8) कैन्टीन, विश्राम के लिये शैलटर पर्याप्त प्रसाधन व पीने के पानी की सुविधाओं, बीमारी व उपकारी योजना, भुगतान, पैन्शन व सेवानिवृति निधियों, उपदान भुगतान, ऋण प्रदान करना और मजदूरों को कानूनी सलाह आदि कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था की सलाह देना।

(9) मजदूरी सहित अवकाश प्रदान करने को नियमित करनें में फैक्ट्री प्रबन्ध की सहायता करना और मजदूरी सहित अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था तथा अन्य अवकाश सुविधाओं बारे मजदूरों को समझाने और अनुमत अवकाश हेतु आवेदन-पत्रों के प्रेषण सम्बन्धी मामलों में मजदूरों का मार्ग-दर्शन करना।

(10) कल्याण व्यवस्थाओं जैसे आवास सुविधाओं, खाद्यसामग्री, सामाजिक और मनोरंजन सुविधाएं व स्वच्छता, व्यक्तिगत कार्मिक समस्याओं व बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी परामर्श उपलब्ध कराना।

(11) फैक्ट्री प्रबन्ध समिति को नये कर्मचारियों, शिशिक्षुओं, पदोन्नति व स्थानान्तरण पर मजदूरों को प्रशिक्षण देने बारे परामर्श देना, प्रशिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों को सूचना पट तथा सूचना बुलेटिनों जो कि कामगरों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये तथा तकनीकी संस्थानों में उनकी हाजरी को बढ़ावा देने के लिये होते हैं, के पर्यवेक्षण व नियन्त्रण के सम्बन्ध में परामर्श देना।

(12) मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सामान्य रूप में उनके कल्याण को बढ़ावा देने वाले तरीकों के लिए सुझाव देना।

9. कल्याण अधिकारी द्वारा न किए जाने वाले कर्तव्य.—कल्याण अधिकारी राज्य सरकार अथवा श्रम आयुक्त की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना नियम 8 में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेगा अथवा किसी पद को धारण नहीं करेगा।

10. छूट की शक्तियां.—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी फैक्ट्री अथवा किसी भी वर्ग या प्रकार की फैक्ट्रियों को ऐसे अन्य प्रबन्ध जो कि अनुमत हों के अनुपालन के अध्यधीन इन नियमों के सभी अथवा किन्हीं उपबन्धों के पालन की छूट दे सकती है।

11. निरसन और व्यावृति.—हिमाचल प्रदेश कल्याण अधिकारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1951 जो 1 नवम्बर, 1966 से पहले के हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में प्रवृत्त और पंजाब कल्याण अधिकारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1952 जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को हस्तान्तरित क्षेत्रों में प्रवृत्त है एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये सभी कार्य अथवा जारी आदेश जब तक कि वे इन नियमों से असंगत न हों इन नियमों के अधीन क्रमशः कृत और जारी किए गए समझे जायेंगे।

आदेशानुसार,
शमशेर सिंह,
सचिव।

## परिवहन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 11 जुलाई, 1980

संख्या 6-3/79(परिवहन).—चूंकि राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश का अभिमत है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक एवं वांछनीय है;

अतएव हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल्ज़ टैक्सेशन ऐक्ट, 1972 (ऐक्ट नं0 4 आफ 1973) की धारा 14 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में अन्य सभी निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्न श्रेणी के मालवाहनों को मोटर व्हीकल्ज टैक्स से छूट देने के सहर्ष आदेश देते हैं :—

"Public carriers of other States covered under West Zone Permit Scheme for public carriers covering the territory of Himachal Pradesh; provided the tax due to the State of Himachal Pradesh under the said reciprocal agreement has been paid."

शमशेर सिंह,
सचिव ।

## पंचायती राज विभाग

### अधिसूचना

शिमला, 14 जुलाई, 1980

संख्या पी.सी.एच.-एच. ए(4)-52/76-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4(1) तथा 5(1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला हमीरपुर के विकास खण्ड सुजानपुर टीहरा की ग्राम सभा 'बुड़ाना' का नाम बदल कर 'बैरी' रखने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश से,
हस्ताक्षरित/
सचिव ।

निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।